"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत: क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2010—आषाढ़ 25, शक 1932

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. (1977), सचिव, ग्रामोद्योग एवं तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से. (1987), सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

3. श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. के. कुजूर, भा. प्र. से. (1986), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ. ग. एवं पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग केवल सचिव, स्कूल शिक्षा के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1988), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, महामहिम राज्यपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है, तथा उन्हें सचिव, नगरीय विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. जॉय उम्मेन,** मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-6-2010 में श्री तपेश झा, भा.व.से. की पदस्थापना में त्रुटिवश "वन संरक्षक, रायपुर" अंकित हो गया है. अतः "वन संरक्षक, रायपुर" के स्थान पर "वन संरक्षक, वनवृत्त, सरगुजा" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. के. बाजपेयी,** उप-सचिव.

---

## गृह (पुलिस) विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2010

क्रमांक/एफ 1/15/दो-गृह/भापुसे/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री नीथू कमल, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर छ.ग. को स्वयं के विवाह हेतु दिनांक 25-06-2010 से दिनांक 12-07-10 तक कुल 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

2. सुश्री नीथू कमल, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर सुश्री नीथू कमल, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगी.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नीथू कमल, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर, छ. ग. अवकाश पर नहीं जातीं तो कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2010

क्रमांक/एफ 1/32/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विवेकानंद, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को खंड वर्ष 2006-09 में निम्नानुसार सपरिवार भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 21-06-2010 से दिनांक 09-07-2010 तक कुल 19 दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 19-20 जून एवं 10-11 जुलाई 2010 के शासकीय विज्ञप्त

अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए दिल्ली/उत्तरप्रदेश/उत्तराखंड जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1. श्री जनार्दन प्रसाद (पिता) 2. श्रीमती कमला (माता)
3. डॉ. स्मिता (पत्नी) 4. चि. मयंक एवं चि. प्रियंक (पुत्र)

2. श्री विवेकानंद, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री विवेकानंद, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेकानंद, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ 1/142/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. पी. चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को खंड वर्ष 2010-2013 में निम्नानुसार सपरिवार भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 12-07-2010 से दिनांक 31-07-2010 तक कुल 20 दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 10-11 जुलाई एवं 01 अगस्त 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए जम्मू कश्मीर/अमरनाथ जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1. श्रीमती जया चौधरी (पत्नि) 2. राजीव चौधरी (पुत्र)

2. श्री एम. पी. चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एम. पी. चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. पी. चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्रमांक/एफ 1/147/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को दिनांक 31-05-2010 से दिनांक 05-06-2010 तक कुल 06 दिवस के लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. एल. लिखार**, अवर सचिव.

## आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/एफ-20-57/25-3/2008/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया, 2007 के पृष्ठ 2 पर अंकित प्रक्रिया (च) के बाद स्थापित अंश "आयुक्त/संचालक, छ.ग. शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग . . . . . . . . (से) मान्यता निरस्त कर दी जायेगी (तक)" को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है :—

"आयुक्त/संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होंगे. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र आयुक्त/संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर को विहित प्रपत्र में उल्लिखित अभिलेखों प्रक्रिया (अ) से (च) के साथ प्रस्तुत किया जावेगा. आयुक्त/संचालक द्वारा संस्थान का निरीक्षण जिला कलेक्टर के माध्यम से 1 माह में प्राप्त किया जावेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन मापदण्ड के अनुरूप होने पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर आवेदक संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने का स्थाई प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा, जिसकी प्रविष्टि आयुक्त/संचालक कार्यालय में इस बाबत संधारित स्थायी पंजी में की जावेगी.

आयुक्त/संचालक द्वारा समय-समय पर स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के लिए निर्धारित मापदण्ड में कमी पाए जाने पर संबंधित संस्था को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित रीति से अवसर प्रदान करने के उपरांत स्थाई प्रमाण निरस्त किया जा सकेगा.

आवेदक संस्था के प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी आवेदन को अमान्य करने या जारी प्रमाण पत्र को आयुक्त/संचालक द्वारा निरस्त किए जाने संबंधी निर्णय के विरुद्ध आवेदक संस्था द्वारा राज्य शासन को अपील की जा सकेगी."

2. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल चौधरी**, उप-सचिव.

---

## कृषि विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्रमांक एफ 1-25/2009/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2010 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पद में भर्ती हेतु नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो या इसमें इसके पश्चात् सौंपी जायें;

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26-12-84 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों,

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों,

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(4) वे व्यक्ति, जो अन्य विभाग से आदेशों के अनुरूप स्थानांतरित किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगी परीक्षा या मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये.

(2) उप-नियम (1) के खंड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी समय भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके, अनुसूची-चार में उल्लिखित अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगे.

(4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति के साथ, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगी, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जायेंगे. तथापि नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जो इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगा.

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(एक) **आयु.**—

(क) परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, अड़तीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, अड़तीस वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

**स्पष्टीकरण :—** शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

**स्पष्टीकरण :—** शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो.

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें;

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है)

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो.

**टीप.—**

(1) **उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि** आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती **हो तो वे पात्र बने रहेंगे.**

टीप (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

(ठ) उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें.—** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है.

(तीन) **फीस.—** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.—** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.—** परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

11. प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.—

(1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती—** नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य समाविष्ट होंगे.

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर शासन के परामर्श से निर्धारित करें.

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी.

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती-**

(एक) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, उनके साक्षात्कार के पश्चात्/या प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी.

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा.

(तीन) चयन समिति, समुचित समय अंतरालों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जायेगी.

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया है, उप-नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की-शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(8) कुल रिक्तियों में से कुछ पदों को विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, आरक्षित रखे जायेंगे. यह आरक्षण प्रभागवार के साथ-साथ समस्तर (होरीजोन्टल के साथ-साथ कम्पार्टमेन्ट वाइस) होगा. उपयुक्त विकलांग अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, आरक्षित पदों के विरुद्ध इसे सामान्य संवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा.

12. **समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह-सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

सीधी भर्ती के लिए उपबन्ध रिक्तियों के 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत क्रमशः उन अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य है, के लिए आरक्षित रखे जायेंगे.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची-चार के कॉलम (5) में उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होंगे.

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा.

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेगी.

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—**

(1) समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पद/सेवा में अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों में (चाहे मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) सेवा पूर्ण कर ली हो.

**स्पष्टीकरण .— (1) पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.—** संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) चयन का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 तथा समय-समय पर जारी शासकीय परिपत्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची, उस कैलेण्डर वर्ष के लिए प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी.

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक चयन सूची के तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे.

(4) पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करते समय मानदण्ड वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनिऑरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी.

**स्पष्टीकरण :—** ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

16. **चयन सूची.—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पद से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची, सामान्यत: इसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार सूची में आये हो.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख की बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

18. **परिवीक्षा.—** सेवा में रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती या पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

19. **निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्याय संगत एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती हैं.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**याकुब खेस्स**, उप-सचिव.

# अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

## छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि ( अलिपिक वर्गीय ) सेवा

| स. क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान/ग्रेड वेतन | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **कृषि सेवा** | | | | | |
| 1. | सहायक सांख्यिकीय अधिकारी | 71 | तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) | 9300-34800/4300 | |
| 2. | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 389 | —तदैव— | 9300-34800/4300 | |
| 3. | मानचित्रकार | 32 | —तदैव— | 5200-20200/2400 | |
| 4. | कृषि विकास अधिकारी | 652 | —तदैव— | 5200-20200/2800 | |
| 5. | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 3760 | —तदैव— | 5200-20200/2400 | |
| 6. | सर्वेयर | 462 | —तदैव— | 5200-20200/2200 | |
| 7. | अनुरेखक | 25 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |
| 8. | प्रयोगशाला सहायक | 29 | —तदैव— | 5200-20200/2200 | |
| 9. | प्रयोगशाला तकनीशियन | 4 | —तदैव— | 5200-20200/2800 | |
| 10. | ट्रेक्टर चालक | 5 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |
| 11. | वाहन चालक | 116 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |
| **कृषि अभियांत्रिकी सेवा** | | | | | |
| 1. | यांत्रिक सहायक (उप अभियंता) | 17 | —तदैव— | 9300-34800/4200 | |
| 2. | यांत्रिक | 23 | —तदैव— | 5200-20200/2200 | |
| 3. | आपरेटर ग्रेड-I | 25 | —तदैव— | 5200-20200/2200 | |
| 4. | इलेक्ट्रिशियन | 1 | —तदैव— | 5200-20200/2200 | |
| 5. | मशीनमैन | 1 | —तदैव— | 5200-20200/2200 | |
| 6. | वेल्डर | 4 | —तदैव— | 5200-20200/2200 | |
| 7. | वाहन चालक (भारी वाहन) | 9 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |
| 8. | कारपेन्टर | 1 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |
| 9. | ब्लैकस्मिथ | 3 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |
| 10. | सहायक यांत्रिक (मेकेनिक) | 3 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |
| 11. | टर्नर | 3 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |
| 12. | फिटर | 1 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |
| 13. | फिल्डमैन/ऑपरेटर ग्रेड-II | 40 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |
| 14. | वाहन चालक (हल्के वाहन) | 3 | —तदैव— | 5200-20200/1900 | |

## अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

### छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि ( अलिपिक वर्गीय ) सेवा

| स. क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | कर्त्तव्य पदों की संख्या | भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत | | | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सीधी भर्ती द्वारा नियम-6 (1) (क) देखिये | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिये | अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा नियम 6 (1) (ग) देखिये | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | **कृषि सांख्यिकीय सेवा** | | | | | |
| 1. | सहायक सांख्यिकीय अधिकारी | 71 | 100% | - | | |
| 2. | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 394 | 10% | 90% | | |
| 3. | कृषि विकास अधिकारी | 652 | - | 100% | | सर्वेयरों के लिए 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए 82.5 प्रतिशत एवं प्रेस आपरेटर/आर्टिस्ट/फोटोग्राफर के लिए 2.5 प्रतिशत ( ये पद सांख्येत्तर पद है ) यदि ये पद उपलब्ध न हो तो ग्रा.कृ.वि.अधि. से भरा जावेगा. |
| 4. | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 3760 | 100% | - | | |
| 5. | सर्वेयर | 462 | 100% | - | | |
| 6. | प्रयोगशाला तकनीशियन | 4 | - | 100% | | |
| 7. | मानचित्रकार | 32 | 50% | 50% | | |
| 8. | अनुरेखक | 25 | 100% | - | | |
| 9. | प्रयोगशाला सहायक | 29 | 100% | - | | |
| 10. | ट्रेक्टर चालक | 5 | 100% | - | | |
| 11. | वाहन चालक | 116 | 100% | - | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **कृषि अभियांत्रिकी सेवा** | | | | | |
| 1. | यांत्रिक सहायक (उप अभियंता) | 17 | 75% | 25% | | |
| 2. | यांत्रिक | 23 | - | 100% | | |
| 3. | आपरेटर ग्रेड-I | 25 | 70% | 30% | | भारी वाहन अर्थात् ट्रेक्टर के परिचालन का कार्य होने के कारण अनुभवी व्यक्ति अपेक्षित किया गया है तथा आपरेटर पद ग्रेड-II स्तर में कार्यरत कर्मचारी को भी पदोन्नति के लिए अवसर प्रदान किया गया है. |
| 4. | इलेक्ट्रिशियन | 1 | 100% | - | | इलेक्ट्रिशियन का कार्य एक विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण 100% सीधी भर्ती के आधार पर इलेक्ट्रिशियन के पदों को भरा जाना प्रस्तावित है. |
| 5. | मशीनमैन | 1 | - | 100% | | अनुभवी कर्मचारी की आवश्यकता होने के कारण 100% पदोन्नति से भरा जाना प्रस्तावित किया जायेगा. |
| 6. | वेल्डर | 4 | 100% | - | | वेल्डर का कार्य एक विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण 100% सीधी भर्ती के आधार पर वेल्डर के पदों को भरा जाना प्रस्तावित है. |
| 7. | कारपेन्टर | 1 | 100% | - | | कारपेन्टर का कार्य एक विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण 100% सीधी भर्ती के आधार पर कारपेन्टर के पदों को भरा जाना प्रस्तावित है. |
| 8. | वाहन चालक (भारी वाहन) | 9 | 75% | 25% | | बस्तर संभाग में वाहन चालक (हल्के वाहन) का एक भी नियमित पद स्वीकृत नहीं होने से वाहन चालक (भारी वाहन) के सभी 3 पद सीधी भर्ती से भरा जाना प्रस्तावित है. |
| 9. | वाहन चालक (हल्के वाहन) | 3 | 100% | - | | —तदैव— |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | ब्लैकस्मिथ | 3 | 100% | - | | ब्लैकस्मिथ का कार्य एक विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण 100% सीधी भर्ती के आधार पर ब्लैक-स्मिथ के पदों को भरा जाना प्रस्तावित है. |
| 11. | सहायक यांत्रिक | 3 | 100% | - | | ——— |
| 12. | टर्नर | 3 | 100% | - | | टर्नर का कार्य एक विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण 100% सीधी भर्ती के आधार पर टर्नर के पदों को भरा जाना प्रस्तावित है. |
| 13. | फिटर | 1 | 100% | - | | फिटर का कार्य एक विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण 100% सीधी भर्ती के आधार पर फिटर के पदों को भरा जानां प्रस्तावित है. |
| 14. | फिल्डमैन/ऑपरेटर ग्रेड-II | 40 | 40% | 60% | | |

**नोट :—** जहां पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के लिए पदों के बीच स्पष्ट विभाजन हेतु कठिनाई हो वहां एक पद का लाभ पदोन्नति के लिए आरक्षित पदों को दिया जावेगा.

## अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिये)

**छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि ( अलिपिक वर्गीय ) सेवा**

| विभाग का नाम (1) | सेवा का नाम (2) | न्यूनतम आयु सीमा (3) | अधिकतम आयु सीमा (4) | शैक्षणिक अर्हताएं (5) | टिप्पणियां (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| कृषि | **कृषि सांख्यिकीय सेवा** | | | | |
| | 1. सहायक सांख्यिकीय अधिकारी | 21 | 30 (छ. ग. के स्थायी निवासी हेतु 35 वर्ष) | गणित विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री अथवा सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर डिग्री | सांख्यिकीय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | मानचित्रकार | 21 | 30 (छ. ग. के स्थायी निवासी हेतु 35 वर्ष) | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा. | |
| 3. | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 21 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी/जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री. | |
| 4. | ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी | 21 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी/जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री. | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी (कृषि)/ बीएससी (उद्यानिकी)/बी टेक (कृषि अभि-यांत्रिकी की डिग्री) |
| 5. | सर्वेयर | 18 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्था से सर्वेयर प्रमाण पत्र. | |
| 6. | अनुरेखक (ट्रेसर) | 18 | —तदैव— | (10+2) मान्यता [illegible] आईटीआई संस्था से सिविल ड्राइंग में प्रमाण पत्र. | |
| 7. | प्रयोगशाला सहायक | 21 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण. | |
| 8. | ट्रेक्टर चालक | 18 | —तदैव— | आठवीं उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मेकेनिक में आईटीआई तथा ट्रेक्टर परिचालन का लाइसेंस. | |
| 9. | चालक | 18 | | आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा वाहन परि-चालन का लाइसेंस. | |
| | **कृषि अभियांत्रिकी सेवा** | | | | |
| 1. | यांत्रिक सहायक (उप अभियंता) | 21 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल इंजिनियरिंग/आटो इंजिनियरिंग में डिप्लोमा. मान्यता प्राप्त कृषि विश्व-विद्यालय से कृषि इंजिनियरिंग धारक व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जायेगा. | |
| 2. | इलेक्ट्रिशियन | 21 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई तथा मान्यता प्राप्त/ नामी संस्था से 2 वर्ष का अनुभव. | इलेक्ट्रिशियन का कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | वेल्डर | 21 | 30 (छ. ग. के स्थायी निवासी हेतु 35 वर्ष) | मान्यता प्राप्त संस्था से वेल्डिंग ट्रेड में आईटीआई तथा मान्यता प्राप्त/नामी संस्था से 2 वर्ष का अनुभव. | वेल्डर का कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण. |
| 4. | वाहन चालक (भारी वाहन) | 21 | —तदैव— | आठवीं उत्तीर्ण तथा भारी वाहन परि-चालन का लाइसेंस. | |
| 5. | वाहन चालक (हल्के वाहन) | 18 | —तदैव— | आठवीं उत्तीर्ण तथा हल्के वाहन परि-चालन का लाइसेंस. | |
| 6. | कारपेन्टर | 18 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त संस्था से कारपेन्टरी ट्रेड में आईटीआई. | कारपेन्टर का कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण. |
| 7. | ब्लैकस्मिथ | 18 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त संस्था से ब्लैकस्मिथ ट्रेड में आईटीआई | ब्लैकस्मिथ का कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण. |
| 8. | सहायक यांत्रिकी | 18 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मेकेनिक ट्रेड में आईटीआई | मशीन के रख-रखाव तथा मरम्मत हेतु योग्यताएं तथा पात्रता. |
| 9. | टर्नर | 18 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त संस्था से टर्नर ट्रेड में आईटीआई | टर्नर का कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण. |
| 10. | फिटर | 18 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त संस्था से फीटर ट्रेड में आईटीआई | फिटर का कार्य विशिष्ट प्रकृति का होने के कारण. |
| 11. | फिल्डमैन/ऑपरेटर ग्रेड-II | 18 | —तदैव— | मान्यता प्राप्त संस्था से डिजल मेकेनिक में आईटीआई तथा ट्रेक्टर परिचालन का लाइसेंस. | तकनीकी स्तर बनाये रखने के उद्देश्य से. |

## अनुसूची-चार
(नियम 13 देखिये)

### छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि ( अलिपिक वर्गीय ) सेवा

| विभाग का नाम | सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है | सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है | पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कृषि सेवा | 1. कृषि विकास अधिकारी | वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी | 5 वर्ष | **संभागीय स्तर के पदों के लिए**<br>1. अतिरिक्त संचालक कृषि —अध्यक्ष<br>2. संयुक्त संचालक कृषि —सदस्य<br>3. आरक्षित संवर्ग का प्रतिनिधि—सदस्य जो द्वितीय श्रेणी के स्तर से कम न हो.<br>4. उप संचालक कृषि —सदस्य<br>5. उप संचालक कृषि, —सदस्य सचिव स्थापना शाखा का प्रभारी. | |
| | 2. सर्वेयर/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/प्रेस आपरेटर/आर्टिस्ट/फोटोग्राफर | कृषि विकास अधिकारी | 5 वर्ष | | |
| | 3. प्रयोगशाला सहायक | प्रयोगशाला तकनीशियन | 5 वर्ष | **संभागीय स्तर में मानचित्रकार के पदों के लिए :—**<br>1. संचालक कृषि द्वारा नामांकित — अध्यक्ष उप संचालक कृषि<br>2. संयुक्त संचालक कृषि द्वारा — सदस्य नामांकित उस संभाग का कोई तीन उप संचालक जिसमें से एक सदस्य आरक्षित संवर्ग का होना चाहिए.<br>3. संबंधित संभागीय कार्यालय—सदस्य सचिव के स्थापना शाखा का प्रभारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी. | |
| | 4. अनुरेखक | मानचित्रकार | 5 वर्ष | | |
| | **कृषि अभियांत्रिक सेवा** | | | | |
| | 1. यांत्रिक | यांत्रिक सहायक (उप अभियंता) | 5 वर्ष | **अभियांत्रिकी कृषि सेवा के लिए**<br>1. संयुक्त संचालक कृषि — अध्यक्ष (अभि.)<br>2. संचालनालय कृषि — सदस्य (अभि.), स्थापना शाखा के प्रभारी प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी अधिकारी.<br>3. आरक्षित संवर्ग का — सदस्य प्रतिनिधि जो द्वितीय श्रेणी के स्तर से कम न हो.<br>4. संभागीय कृषि अभियंता —सदस्य सचिव | यांत्रिक सहायक के पद पर पदोन्नति के के लिए इंजिनियरिंग डिप्लोमा होल्डर ही भाग लेंगे. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | आपरेटर ग्रेड-I/ इलेक्ट्रिशियन/ मशीनमैन/वेल्डर | यांत्रिक | 5 वर्ष | | केवल वही व्यक्ति जो डीजल/मेकेनिक स्ट्रिम में आई टी आई से प्रशिक्षण प्राप्त हो तथा सेवावधि के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति भी यांत्रिक के पद पर पदोन्नति के लिए भाग लेंगे. |
| 3. | वाहन चालक (हल्के वाहन) | वाहन चालक (भारी वाहन) | भारी वाहन परिचालन का लाइसेंस सहित 5 वर्ष | | |
| 4. | सहायक यांत्रिक | मशीनमैन | 5 वर्ष | | |
| 5. | फील्डमैन/आपरेटर ग्रेड-II/कारपेन्टर/ ब्लैकस्मिथ/टर्नर/ फिटर. | आपरेटर ग्रेड-I | ट्रेक्टर परिचालन का लाइसेंस सहित 5 वर्ष | | |
| 6. | हैमरमैन/क्लीनर/ हेल्पर | आपरेटर ग्रेड-II/ फील्डमैन | 10वीं उत्तीर्ण तथा ट्रेक्टर परिचालन का लाइसेंस सहित 5 वर्ष. | | |

Raipur, the 30th June 2010

File No. F 1-24/2009/14-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules, relating to the Recruitment to the Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural Class-III (Non-Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural Class-III (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires ,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means such authority to whom powers of appointment has been or hereinafter may be delegated by the Government for recruitment in the service or post;

(b) "Selection Committee" means Selection Committee, constituted by the appointing authority for recruitment or promotion under these rules;

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;

(e) "Schedule" means a schedule appendend to these rules ;

(f) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article-341 of the Constitution of India ;

(g) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article-342 of the Constitution of India ;

(h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F. 8-5/XXV/4/84, dsated 26-12-84 as amended from time to time ;

(i) "Service" means the Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural Class-III (Non-Ministerial) Service;

(j) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service ) Rule, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service .**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules ;

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules; and

(4) Persons transferred from other department as per orders.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I ;

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of the posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—

(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) By direct recruitment, by competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion of members of the Service as specified in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer/deputation of the persons who hold in a substantive/officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled at any time shall be done on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted as mentioned in Schedule-IV.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require the Government may with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for Selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However Appointing Authority should set up a selection committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and the directions issued by General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.**— All appointment to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by any-one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**—In order to be eligible to compete at the examination/selection a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(I) **Age :—**

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum 10 years to a women candidates, as per provisions of Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant of Chhattisgarh should not be more than thirty eight years of age.

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than thirty eight years of age. This concession shall also be admissible to contingency paid employees, work-charged employees and the employees working in the Project Implementation Committees ;

(iii) A candidate, who is retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up-to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation** – The term "retrenched Government Servant" denotes a person, who was in temporary Government Service of this State or of any of constituent units for a continuous period of not less than six months and who was

discharged because of reduction in the establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Services.

(e) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation.**— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in the Government service :—

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short-term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrollment;

(iii) Ex- personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officer);

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers ;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds, etc.

**Note :** (1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8 (d) (1) and (2) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum 2 years in respect of Green Cards Holder candidates under Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes-Welfare Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 5 years in respect of the Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveer Chand Banjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guard for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(k) In respect of age limit, the directions issued by General Administration Department from time to time, shall also be applicable.

(l) After providing relaxaion on the basis of any one or more concession mentioned above, for entering in Government service the maximum age shall not exceed 45 years.

(II) **Educational Qualifications.**—The candidates must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) **Fees.**— The candidate must pay the fees if any prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**— Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing authority's decision as to eligibility of the candidates shall be final.**— The decision of the Appointing Authority as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct recruitment by competitive examination/selection.—**

(1) **Direct Recruitment by Competitive Examination**—Appointing Authority shall constitute a selection committee consisting of three members.

(i) The Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority in consultation with the Government from time to time determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) **Direct recruitment by selection**—

(i) The selection of a candidate for the service shall be made by the Appointing Authority after interviewing them/or by conducting a competitive examination.

(ii) The selection of candidates will be done by the Selection Committee based on interview, and

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jâtiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative ranks as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Committee to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3).

(6) 30% posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number the Competent Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Out of total vacancies, posts shall be reserved for handicapped candidates. This reservation shall be horizontal as well as compartment-wise. In case suitable handicapped candidate is not available against reserved post it may be filled up by a candidate of General category.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.—**

(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards, as may be determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidates is suitable in all respect for appointment to the service.

16 percent, 20 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively.

13. **Appointment by promotion.—**

(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Column (5) of Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be in accordance with the roaster prescribed by the Government of Chhattisgarh from time to time.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) Promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

14. **Conditions of eligibility for promotion.—**

(1) The Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year, had completed the service (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in Column (2) of Schedule-IV or any other posts or posts declared equivalent there to by the Government.

**Explanation:— Manner of computation for eligibility for promotion** -The calculation of the period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which the Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The field of selection shall be as per the procedure prescribed by Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the Government circulars issued from time to time.

15. **Preparation of list of suitable candidates.—**

(1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in Rule-14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover probable vacancies for that calendar year.

(2) The list of suitable officers shall be prepared according to the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) As per the provisions of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rule, 1961 the name of the persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

(4) At the time of preparing the Selection List for promotion, the criteria shall be seniority subject to fitness.

**Explanation**—A person whose name is included in a select list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Selection list.—**

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall from the Select List for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV, to the posts as mentioned in column (3) of the said Schedule-IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force for the period of one year from the date of its preparation.

Provided that in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the Select List a special review of the Select List may be made at the instance of the appointing authority and if the committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.—**

(1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which their names appear in the list in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.—** Every person recruited directly or by promotion to the service against a clear vacancy shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner, less favourable to him than that provided in these rules.

25. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and women candidates in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

26. **Repeal and Saving.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YAKUB KHESS, Deputy Secretary.

---

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

**Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural (Non-Ministerial) Service**

| S. No. (1) | Name of the posts included in service (2) | No. of Posts (3) | Classification (4) | Scale of Pay/ Grade Pay (5) | Remarks (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Agriculture Services** | | | | | |
| 1. | Assistant Statistical Officer | 71 | Class-III (Non-Ministerial) | 9300-34800/4300 | |
| 2. | Senior Agriculture Development Officer. | 389 | —do— | 9300-34800/4300 | |
| 3. | Draftsman | 32 | —do— | 5200-20200/2400 | |
| 4. | Agriculture Development Officer | 652 | —do— | 5200-20200/2800 | |
| 5. | Rural Agriculture Extension Officer. | 3760 | —do— | 5200-20200/2400 | |
| 6. | Surveyor | 462 | —do— | 5200-20200/2200 | |
| 7. | Tracer | 25 | —do— | 5200-20200/1900 | |
| 8. | Lab Assistant | 29 | —do— | 5200-20200/2200 | |
| 9. | Lab Technician | 4 | —do— | 5200-20200/2800 | |
| 10. | Tractor Driver | 5 | —do— | 5200-20200/1900 | |
| 11. | Driver | 116 | —do— | 5200-20200/1900 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Agriculture Engineering Services** | | | | | |
| 1. | Mechanical Assistant (Sub-Engineer) | 17 | Class-III (Non-Ministerial) | 9300-34800/4200 | |
| 2. | Mechanic | 23 | —do— | 5200-20200/2200 | |
| 3. | Operator Grade-I | 32 | —do— | 5200-20200/2200 | |
| 4. | Electrician | 1 | —do— | 5200-20200/2200 | |
| 5. | Machine man | 1 | —do— | 5200-20200/2200 | |
| 6. | Welder | 4 | —do— | 5200-20200/2200 | |
| 7. | Driver (Heavy Vehicle) | 9 | —do— | 5200-20200/1900 | |
| 8. | Carpenter | 1 | —do— | 5200-20200/1900 | |
| 9. | Blacksmith | 3 | —do— | 5200-20200/1900 | |
| 10. | Assistant Mechanic | 3 | —do— | 5200-20200/1900 | |
| 11. | Turner | 3 | —do— | 5200-20200/1900 | |
| 12. | Fitter | 1 | —do— | 5200-20200/1900 | |
| 13. | Fieldman/Operator Grade-II | 40 | —do— | 5200-20200/1900 | |
| 14. | Driver (Light Vehicle) | 3 | —do— | 5200-20200/1900 | |

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

**Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural (Non-Ministerial) Service**

| S. No. | Name of post included in service | Total No. of duty posts | Percentage of number of duty posts to be filled in | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | By direct recruitment rule 6 (1) (A) | By promotion of member of service rule 6 (1) (B) | By transfer of persons from other services rule 6 (1) (C) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **Agriculture Statistics Services** | | | | | | |
| 1. | Assistant Statistical Officer | 71 | 100% | - | | |
| 2. | Senior Agriculture Development Officer | 394 | 10% | 90% | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Agriculture Development Officer. | 652 | - | 100% | | 15 percent for Surveyor and 82.5 percent for Rural Agriculture Extension Officer and 2.5 percent for Press Operator/Artist/ Photographer (these post is dying cadre) if these post is not available against it may be filled up by a R.A.E.O. |
| 4. | Rural Agriculture Extension Officer. | 3760 | 100% | | | |
| 5. | Surveyor | 462 | 100% | | | |
| 6. | Lab Technician | 4 | - | 100% | | |
| 7. | Draftsman | 32 | 50% | 50% | | |
| 8. | Tracer | 25 | 100% | | | |
| 9. | Lab Assistant | 29 | 100% | | | |
| 10. | Tractor Driver | 5 | 100% | | | |
| 11. | Driver | 116 | 100% | | | |
| **Agriculture Engineering Services** | | | | | | |
| 1. | Mechanical Assistant. (Sub-Engineer) | 17 | 75% | 25% | | |
| 2. | Mechanic | 23 | - | 100% | | |
| 3. | Operator Grade-I | 32 | 70% | 30% | | Experience person has been required because of to drive heavy vehicle i.e. Tractor and also to provide opportunity for promotion of employees working at Grade-II level operator post. |
| 4. | Electrician | 1 | 100% | - | | Due special nature of electrical work it is proposed to be fill posts of electrician on the basis of 100% direct recruitment. |
| 5. | Machine man | 1 | | 100% | | Due to requirement of experienced persons so 100% promotion will be proposed. |
| 6. | Welder | 4 | 100% | - | | Due special nature of Welder work it is proposed to be fill posts of Welder on the basis of 100% direct recruitment. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Carpenter | 1 | 100% | - | | Due special nature of Carpenter work it is proposed to be fill posts of Carpenter on the basis of 100% direct recruitment. |
| 8. | Driver (Heavy Vehicle) | 9 | 75% | 25% | | At Bastar there is no regular post is being sanctioned for driver (light vehicle) so for it is proposed to fill all 03 posts of Driver (Heavy vehicle) by direct recruitment. |
| 9. | Driver (Light Vehicle) | 3 | 100% | | | —do— |
| 10. | Blacksmith | 3 | 100% | - | | Due special nature of Blacksmith work it is proposed to be fill posts of Blacksmith on the basis of 100% direct recruitment. |
| 11. | Assistant Mechanic | 3 | 100% | - | | ----------- |
| 12. | Turner | 3 | 100% | - | | Due special nature of Turner work it is proposed to be fill posts of Turner on the basis of 100% direct recruitment. |
| 13. | Fitter | 1 | 100% | - | | Due special nature of Fitter work it is proposed to be fill posts of Fitter on the basis of 100% direct recruitment. |
| 14. | Field man/Operator Grade-II | 40 | 40% | 60% | | |

**Note :**—Where it is difficult to clear division among post of promotion and direct recruitment there will be benefit of one post is provide to post reserved for promotion.

SCHEDULE-III
(See Rule-8)

**Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural (Non-Ministerial) Service**

| Name of Depart- ment (1) | Name of post (2) | Minimum age limit (3) | Upper age limit (4) | Minimum Educational qualification prescribed for direct recruitment (5) | Remarks (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agri- culture | **Agriculture Statistics Services** | | | | |
| 1. | Assistant Statistical Officer | 21 | 30 (35 years for permanent resident of C. G.) | Second Class Bachelors Degree with Maths or Post Graduation in Statistics. | Preference shall be give to persons with master degree in Statistics. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Draftsman | 21 | 30 (35 years for permanent resident of C. G.) | Diploma in Civil Engineering from Recognized University. | |
| 3. | Senior Agriculture Development Officer | 21 | —do— | Masters Degree in Agriculture/ Agriculture Engineering/Horti-culture/Bio-technology from a Recognized Agriculture university. | |
| 4. | Rural Agriculture Extension Officer | 21 | —do— | Bachelors Degree in Agriculture/ Agriculture Engineering/Horti-culture/Bio-technology from a Recognized Agriculture university. | B.Sc. (Agriculture)/ B.Sc. (Horticulture)/ B. Tech. (Agricul-ture Engineering) Degree from a recognized Univer-sity. |
| 5. | Surveyor | 18 | —do— | Surveyor certificate from recognized ITI institution. | |
| 6. | Tracer | 18 | —do— | Certificate in Civil Drawing from ITI from Recognized Institution (10+2). | |
| 7. | Lab Assistant | 21 | —do— | Bechelor of Science with Chemistry passed in Second Division from Recognized University. | |
| 8. | Tractor Driver | 18 | —do— | ITI in Diesel Mechanic from a Recognized Institution and Driving License for Tractor and 8th passed. | |
| 9. | Driver | 18 | —do— | Eighth class passed and Driving License of Light Motor Vehicle. | |
| | **Agriculture Engineering Services** | | | | |
| 1. | Mechanical Assistant (Sub Engineer) | 21 | —do— | Diploma from Recognized Institution in Mechanical Engg./Auto Engg. : Preference shall be given to person holding degree in Agriculture Engg. from a recognized Agriculture University. | |
| 2. | Electrician | 21 | —do— | ITI in electrical trade from Recognized Institution and two year experience from a recog-nized/renowned institution. | Due to special nature of electrical work. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Welder | 21 | 30 (35 years for permanent resident of C.G.) | ITI in welding trade from Recognized Institution and 2 years experience from a recognized/renowned institution. | Due to special nature of welder work. |
| 4. | Driver (Heavy Vehicle) | 21 | —do— | Class Eighth pass and heavy motor vehicle driving license. | |
| 5. | Driver (Light Vehicle) | 18 | —do— | Class Eighth pass and light motor vehicle driving license. | |
| 6. | Carpenter | 18 | —do— | ITI in Carpentry Trade from Recognized Institution. | Due to special nature of Carpenter work. |
| 7. | Blacksmith | 18 | —do— | ITI in Blacksmith Trade from Recognized Institution. | Due to special nature of Blacksmith work. |
| 8. | Assistant Mechanic | 18 | —do— | ITI in Diesel Mechanic Trade from Recognized Institution. | As per requirement and eligibility for maintenance and repairing of machinery. |
| 9. | Turner | 18 | —do— | ITI in Turner Trade from Recognized Institution. | Due to special nature of Turner work. |
| 10. | Fitter | 18 | —do— | ITI in Fitter Trade from Recognized Institution. | Due to special nature of Fitter work. |
| 11. | Field man/Operator Grade-II. | 18 | —do— | ITI in Diesel Mechanic Trade from Recognized Institution and tractor driving license. | With the objective to maintain technical level. |

SCHEDULE-IV
(See Rule-13)

**Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural (Non-Ministerial) Service**

| Name of Department | Name of the Service or post from which promotion is to be made | Name of Service or Posts to which Promotion is to be made | Service Experience for Promotion | Name of members of the Departmental Promotion Committee | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Agriculture Services | 1. Agriculture Development Officer | Senior Agriculture Development Officer | 5 years | **For rest of the post of Directorate level**<br>1. Additional Director Agriculture. — Chairman | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Joint Director Agriculture. — Member<br>3. Representative of reserve category atleast of class-II level. — Member<br>4. Deputy Director Agriculture. — Member<br>5. Deputy Director Agriculture I/C of Establishment. — Member Secretary | |
| | 2. Surveyor/ Rural Agriculture Extension Officer/Press Operator/ Artist/Photographer. | Agriculture Development Officer | 5 years | | |
| | 3. Lab Assistant | Lab Technician | 5 years | | |
| | 4. Tracer | Draftsman | 5 years | **For the post of d: [illegible]s man at division level**<br>1. Deputy Director of Agriculture nominated by Director Agriculture. — Chairman<br>2. Any 3 Deputy Director of that division nominated by Joint Director Agriculture out of which one member should be of reserved category. — Member<br>3. Class-II officer I/C of establishemet section of concerning divisional office. — Member Secretary | |
| | **Agriculture Engineering Services** | | | | |
| | 1. Mechanic | Mechanical Assistant (Sub-Engineer) | 5 years | **For Agriculture Engineering Service:**<br>1. Joint Director Agriculture (Engg.). — Chairman<br>2. Class-I or II officer I/C of establishment section of Director of Agriculture (Engg.) — Member<br>3. Representative of reserve category atleast of class-II level. — Member<br>4. Divisional Agriculture Engineer. — Member Secretary | Only diploma holder engineer will be liable to promote on the post of Mechanical Assistant. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2. Operator Grade-I/ Electrician/ Machine man/Welder | Mechanic | 5 years | | Only those persons will be liable to promote on the post of mechanic who has trained from ITI in Diesel/ Motor Mechanic stream and also persons took training during service period. |
| | 3. Driver (Light Vehicle) | Driver (Heavy Vihicle) | 5 years with heavy motor vehicle driving license | | |
| | 4. Assistant Mechanic | Machine man | 5 years | | |
| | 5. Field man/ Operator Grade-II/ Carpenter/ Black Smith/ Turner/Fitter | Operator Grade-I | 5 year with tractor driving license | | |
| | 6. Hammer man/ Cleaner/Helper | Operator Grade-II/ Field man | 5 year with tractor driving license and 10th pass. | | |

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/2442/भू-अर्जन/02/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा | दन्तेवाड़ा | कतियाररास | 0.38 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) दक्षिण बस्तर संभाग, दन्तेवाड़ा. | जिला जेल दंतेवाड़ा हेतु पहुंच मार्ग निर्माण के लिये भू-अर्जन. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रीना कंगाले**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 29 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 05/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरबा | करतला | धमनागुड़ी | 7.06 | अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग कोरबा. | केहरानाला जलाशय योजना डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 29 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरबा | कोरबा | पसरखेत | 4.70 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा. | पसरखेत जलाशय निर्माण हेतु (धवनलाल, व्यपवर्तन योजना). |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बसवराजु. एस.**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | छोटेभंडार प. ह. नं. 39 | 9.607 | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़. | औद्योगिक प्रयोजनार्थ |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | बड़ेभंडार प. ह. नं. 39 | 29.897 | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़. | औद्योगिक प्रयोजनार्थ |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | सरवानी प. ह. नं. 39 | 33.827 | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़. | औद्योगिक प्रयोजनार्थ |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | पुसौर | अमलीभौना प. ह. नं. 39 | 19.126 | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़. | औद्योगिक प्रयोजनार्थ |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. अग्रवाल,** कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/Q/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | गतवा प.ह.नं. 25 | 53.623 | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, चांपा जिला जांजगीर-चांपा. | औद्योगिक प्रयोजन (1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु). |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जून 2010

क्रमांक/8561/भू-अर्जन/10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | चांपा | बिर्रा प.ह.नं. 27 | 85.876 | महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, चांपा जिला जांजगीर-चांपा. | औद्योगिक प्रयोजन (1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु) |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. तिवारी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2010

क्रमांक 1005/अ/82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मंगचुवा, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 600 | 0.25 |
| | 599/5 | 0.01 |
| योग | 2 | 0.26 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राम सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 मई 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./12/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भुरकोनी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.934 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 207 | 10.934 |
| योग | 1 | 10.934 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- गोकुल नगर हेतु भूमि का अर्जन.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक 313/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 14 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पचेड़ा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.18 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 486 | 2.18 |
| योग | 1 | 2.18 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर परियोजना हेतु (वाटर ट्रीटमेंट)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक 314/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 09/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-झॉझ, प. ह. नं. 71/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 100 | 0.02 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 102 | 0.02 |
| | 244 | 0.07 |
| | 272 | 0.19 |
| योग | 4 | 0.30 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत रोड नंबर 02 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक 315/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 2 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-मंदिर हसौद, प. ह. नं. 73/14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.507 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|---|
| | 1505/1-2-3 | 0.510 |
| | 1511 | 0.020 |
| | 1519 | 0.377 |
| | 1523 | 0.301 |
| | 1524 | 0.299 |
| योग | 5 | 1.507 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर परियोजना (रोड क्रमांक-6) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक 316/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 3 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-मंदिर हसौद, प. ह. नं. 73/14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.826 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|---|
| | 1404 | 0.207 |
| | 1554 | 0.690 |
| | 1558 | 0.209 |
| | 1559/2 | 0.190 |
| | 1568 | 0.530 |
| योग | 5 | 1.826 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर परियोजना (रोड क्रमांक-3) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक 317/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 08/अ-82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-नवांगांव, प. ह. नं. 71/16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 248 | 0.05 |
| योग | 1 | 0.05 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत रोड नंबर-2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**संजय गर्ग**, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/1/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-बस्तर
(ग) नगर/ग्राम-सालेमेटा, प. ह. नं. 01
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.93 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 87/1 | 0.63 |
| | 90 | 1.00 |
| | 91/1 | 1.80 |
| | 92/1 | 0.63 |
| | 118/1 | 1.15 |
| | 118/2 | 0.27 |
| | 118/3 | 0.55 |
| | 118/4 | 0.85 |
| | 118/5 | 0.14 |
| | 123 | 1.39 |
| | 124 | 0.06 |
| | 125 | 3.39 |
| | 126 | 0.88 |
| | 110 | 0.19 |
| योग | 14 | 12.93 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत च्यूटफाल के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एस. परस्ते**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी
### (रायपुर विकास प्राधिकरण)

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2010

क्रमांक 4232/रा.शा./वि.प्रा./2010.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) क्षेत्र के लिए तथा अनुमोदित नगर विकास स्कीम को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और उक्त स्कीम की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, अर्थात्—

1. रायपुर विकास प्राधिकरण, बजरंग होटल के पास, शास्त्री चौक, रायपुर
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर

उक्त नगर विकास स्कीम नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

No. 4232/रा.शा./वि.प्रा./2010.—The Town Development Scheme for the area Town Development Scheme-4 (Kamal Vihar) as approved under sub-section (4) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published for the information of the general public and copies of the said scheme are available for inspection during office hours at the following offices namely :—

1. Raipur Development Authority, Near Bajrang Hotel, Shastri Chowk Raipur.
2. Joint Director, Town & Country Planning, Raipur.

The said Town Development Scheme Town Development Scheme-4 (Kamal Vihar) shall come into operation with effect from Publication in Chhattisgarh Rajpatra.

**एस. एस. बजाज,**
अध्यक्ष.

---

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 30th June 2010

No. 4223/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Shri Deepak Kumar Gupta, Judicial Magistrate First Class, Keshkal, District Bastar (Jagdalpur) to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.